पत्रांक–7/आर0नीति0–18–01/2008 का.–4553

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

आर0एस0 शर्मा,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग
सभी विभागीय प्रधान सचिव
सभी सचिव
सभी विभागाध्यक्ष।

रांची, दिनांक 23 जुलाई, 2008

विषय : आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–716 दिनांक 15.12.1982 तथा परिपत्र संख्या–113 दिनांक 25.07.1997 के संदर्भ में स्पष्ट करना है कि राज्य स्तरीय सेवाओं/संवर्गों के वेतनमान रुपये 2000–3000/– (अपुनरीक्षित), वेतनमान 6500–10500/– (पुनरीक्षित) एवं उससे ऊपर के वेतनमान वाले पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति में आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस का कार्य कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा किया जाता है। विभिन्न विभागों से आरक्षण रोस्टर अनुमोदन हेतु प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा के दौरान प्रस्ताव में कई त्रुटियाँ तथा कई प्रकार की सूचनाओं का अभाव पाया जाता है, फलतः आरक्षण रोस्टर से संबंधी प्रस्तावों में कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग को अनुमोदन में कठिनाई होती है।

आरक्षण रोस्टर अनुमोदन संबंधी प्रस्तावों के गठन तथा मामले का ससमय निष्पादन के लिए सम्बद्ध प्रशासी विभाग के स्तर से निम्न कार्रवाई अपेक्षित है :–

(1) झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के तहत् झारखण्ड राज्य में नियुक्ति/प्रोन्नति के मामले में निम्न प्रतिशत तक आरक्षण निर्धारित है :–

(क) **नियुक्ति में आरक्षण**

1.	अ.ज.जा.	– 26 प्रतिशत
2.	अनु. जाति	– 10 प्रतिशत
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	– 14 प्रतिशत
	कुल	– 50 प्रतिशत

(ख) **प्रोन्नति में आरक्षण**

अ.ज.जा.	– 26 प्रतिशत
अ.ज.	– 10 प्रतिशत
कुल	– 36 प्रतिशत

इसके अतिरिक्त कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 7281 दिनांक 01.11.2007 द्वारा विकलांगों को 3 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

इस हेतु राज्य स्तरीय पदों पर सीधी भर्त्ती तथा प्रोन्नति के लिए 100 बिन्दुओं वाली आदर्श रोस्टर के साथ–साथ 5 पदों वाली नियुक्ति/प्रोन्नति का आदर्श रोस्टर बिन्दु निर्धारित की गई है। नियुक्ति/प्रोन्नति में निर्धारित प्रतिशत तक आरक्षण कोटिवार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रशासी विभाग को उपर्युक्त निर्धारित रोस्टर के आलोक में प्रस्ताव गठन किये जाने की अपेक्षा है।

(2) आरक्षण रोस्टर प्रस्तावों से संबंधित संचिका में निम्न वांछित सूचनाएँ अंकित की जानी है:–

i. आरक्षण रोस्टर :– नियुक्ति/प्रोन्नति (जो अनापेक्षित हो उसे काट दें)

ii. सेवा/संवर्ग का नाम :–

iii. कोटि का पदनाम/वेतनमान :–

iv. पदों की कुल संख्या :–

v. पदों पर कार्यरत कर्मियों की संख्या :–

vi. कुल रिक्त पदों की संख्या :–

vii. आरक्षण कोटिवार अनुमान्यता की गणना :–

	कुल	अनारक्षित	अनु.जन.जाति	अनु. जाति	अ.पि. वर्ग (केवल नियुक्ति मे)
कुल पदों की आरक्षण कोटिवार अनुमान्यता					
आरक्षण कोटिवार कार्यरत पदों का वर्गीकरण					
कुल रिक्ति का आरक्षण कोटिवार वर्गीकरण					

viii. तुलनात्मक विवरणी :– नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु रोस्टर क्लियरेंस संबंधी रिक्तियों की समेकित गणना तालिका :–

(जो अनापेक्षित हो उसे रिक्त छोड़ दें)

	अनु0 जाति	अनु0जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित	कुल
कर्णांकित पदों की संख्या (No. of post earmaked)					
कार्यरत बल/पदों की संख्या (No. in position)					
अधिक्ता (Excess)					
कमी (Shortfall)					

(3) नियुक्ति/प्रोन्नति के अलग–अलग मामलों में इस पत्र के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में संधारित एवं सक्षम स्तर से प्रमाणित आरक्षण रोस्टर पंजी (तीन प्रतियां) तैयार कर प्रस्ताव के संचिका के साथ संलग्न किया जायेगा।

(4) प्रस्ताव में संगत भर्त्ती/प्रोन्नति नियमावली/परिपत्र में निर्धारित कालावधि का उल्लेख आवश्यक रूप से किया जाय।

(5) सेवाओं में नियुक्ति/प्रोन्नति के मामलों में रोस्टर क्लियरेंस के लिए इस विभाग के पत्र संख्या–378 दिनांक 27.06.2002 के आलोक में पूर्णतः अंकित एवं सक्षम प्राधिकार द्वारा हस्ताक्षरित जांच पत्र संचिका के पत्राचार भाग पर रखे जाय।

(6) प्रोन्नति के मामले में आवश्यकता पर आधारित पद (Need based post) चिन्हित करने के संबंध में अधिसूचना की प्रति संचिका पर रखी जाय। यदि सेवा नियमावली में प्रोन्नति के लिए पद चिन्हित किये गये हों, तो उसकी प्रति संचिका पर रखी जाय।

(7) प्रस्ताव के साथ छाया संचिका संधारित करते हुए संलग्न की जाय।

(8) आरक्षण रोस्टर संबंधी सभी संचिकाएं फाईल ट्रेकर के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगे।

नोट :– इस पत्र को विभाग के वेबसाईट www.jharkhand.gov.in के अन्तर्गत कार्मिक विभाग के कॉलम में रख दिया गया है।

विश्वासभाजन,

(आर0एस0 शर्मा)
सरकार के प्रधान सचिव।